सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.
राजस्व मूल वाद संख्या 46/2015

वादीगण :–

1.सुखाराम पुत्र डालूराम जाति जाट उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1.खुमला पुत्र किशना जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी
2.सुखा पुत्र किशना जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी
3.देवाराम पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी
4.सोहनलाल पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी
5.नन्दकिशोर पुत्र श्री किशन जाति ब्राहम्ण निवासी मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी
6.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)

दावा बाबत अधिकारो की घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री अशोक पुरी अधिवक्ता वादी की ओर से ।

निर्णय

दिनॉक :– 9/10/15

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम मण्डावरा की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 520 रकबा 3.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 598 रकबा 3.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 600 रकबा 0.20 हैक्टर कुल रकबा 6.56 हैक्टर व खसरा नम्बर 166 रकबा 3.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 167 रकबा 2.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 168 रकबा 3.45 हैक्टर कुल रकबा 9.46 हैक्टर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की सहखातेदारी की आई हुई है। किशना पुत्र हुक्मा नाऔलाद फौत हो गया था । राजस्व रेकार्ड में खसरा नम्बर 520, 598, 600 में खुमला पुत्र किशना व खसरा नम्बर 166, 167, 168 में सुखा पुत्र किशना के नाम गलत अंकित है। इस नाम का कोई व्यक्ति ग्राम मण्डावरा में कभी नही रहा । इनके नाम सेटलमेन्ट रेकर्ड में गलत अंकित है वर्तमान जमाबन्दी सेटलमेन्ट की प्रविष्टि के आधार पर बनी हुई है । इसलिए खुमला पुत्र किशना व सुखा पुत्र किशना के नाम सेटलमेन्ट में अंकित रेकर्ड के अनुसार चले आ रहे है न तो ऐसे व्यक्ति प्रथत सेटलमेन्ट के वक्त थे न ही द्वितीय सेटलमेन्ट मे थे और न ही आज ग्राम मण्डावरा में है । रेकर्ड की इस गलत स्थिति को सुधारना आवश्यक हो गया है क्योकि खुमला व सुखा का नाम रेकर्ड में रहने से वादी का हिस्सा प्रभावित होता है । बिनाय दावा राजस्व रेकर्ड की गलत स्थिति का ज्ञान होने पर एवं प्रतिवादीगण द्वारा बंटवारा से इन्कार होने पर बमुकाम मण्डावरा पैदा हुआ । वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम मण्डावरा के 520 रकबा 3.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 598 रकबा 3.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 600 रकबा 0.20 हैक्टर कुल रकबा 6.56 हैक्टर में खुमला पुत्र किशना का नाम हटाया जावे तथा खसरा नम्बर 166 रकबा 3.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 167 रकबा 2.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 168 रकबा 3.45 हैक्टर कुल रकबा 9.46 हैक्टर में से सुख पुत्र किशना का नाम हटाया जावे तथा उक्त खसरान

..... 2 .....

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

520,598,600,166,167,168, का बंटवारा **By Meets & Bound** करवाया जाकर वादी की अलग **Holding** कायम फरमाई जावें ।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण संख्या 3 से 5 ने उपस्थित होकर लिखित में राजीनामा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया । प्रतिवादी संख्या 6 बावजूद इतला अनुपस्थित रहने से एक–पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रिपोर्ट सवार अनुसार इस नाम के व्यक्ति नही होने की प्रस्तुत की । तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सम्बन्ध में भू.अ.निरीक्षक मण्डावरा से रिपोर्ट तलब की गई । रिपोर्ट अनुसार किसनाराम पुत्र हुक्माराम जाट लावल्द फौत 50 वर्ष होने तथा किसनाराम के खुमला व सुखा नाम के कोई पुत्र नही होना तथा किसनाराम की पत्नी की भी 20 वर्ष पूर्व मृत्यु हो जाना अंकित किया है तथा खुमला पुत्र किसना एवं सुखा पुत्र किसना नाम के व्यक्ति ग्राम मण्डावरा में निवासरत नही होना रिपोर्ट में अंकित किया है ।

प्रतिवादी संख्या 3 से 5 ने राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नम्बर 520, 598, 600 कुल रकबा 6.56 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 3 देवाराम का 1/2 हिस्सा एवं 1/2 हिस्सा वादी का है । खसरा नम्बर 166, 167, 168 कुल रकबा 9.46 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 4 सोहनलाल का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 नन्दकिशोर का 1/3 हिस्सा, वादी सुखाराम का 1/3 हिस्सा है । उक्त अनुसार बंटवारा करवाया जाकर सभी की अलग अलग होल्डिग कायम फरमाई जावे ।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा चालू जमाबन्दी की नकल,राशन कार्ड व पहचान पत्र वादी के प्रस्तुत किये । जो शामिल मिसल उपलब्ध है । मौखिक साक्ष्य में वादी एवं प्रतिवादीगण 3से5 द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य/शपथ–पत्र इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया । उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई । वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की तथा प्रतिवादी 3 से 5 की ओर से मुताबिक राजीमाना वाद डिक्री किये जाने का कथन किया ।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज,भू.अ.निरीक्षक मण्डावरा की रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 नाम के व्यक्ति ग्राम मण्डावरा में कभी नही रहे है तथा नही कृषि भूमि पर उनका कब्जा काश्त रहा है । यह तो सेटलमेंट में त्रुटि रही है जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज हो गया । जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की वल्दियत किशनाराम है जो पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के खानदान के सदस्य है । किशनाराम की पत्नी की मृत्यु भी करीबन 20 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा किशनाराम पुत्र हुक्माराम की मृत्यु लगभग 50 वर्ष पूर्व लावल्द हो चुकी है । प्रश्नगत भूमि में अन्य किसी प्रकार का उज्र एतराज प्राप्त नही हुआ है । सभी सहखातेदारान ने इस सम्बन्ध में अपनी आपसी सहमति प्रदान की है तथा इस्तदुआ मुताबिक भूमि उनके नाम दर्ज किये जाने का राजीनामा भी प्रस्तुत किया है । पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी इस बात की पुष्टि होती है कि प्रतिवादी संख्या एक व दो नाम के व्यक्ति इस गांव में न तो कभी रहे है तथा नही इनका उक्त भूमि पर कभी स्वामित्व रहा है । अतः वाद वादी काबिल डिक्री होने मुताबिक राजीनामा निम्न प्रकार

.....3 .....

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

से डिक्री किया जाता है ।

आदेश

ग्राम मण्डावरा के खसरा नम्बर 520 रकबा 3.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 598 रकबा 3.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 600 रकबा 0.20 हैक्टर कुल रकबा 6.56 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 3 देवाराम का 1/2 हिस्सा एवं वादी का 1/2 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 166 रकबा 3.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 167 रकबा 2.78, खसरा नम्बर 168 रकबा 3.45 हैक्टर कुल रकबा 9.46 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 4 सोहनलाल का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 नन्दकिशोर का 1/3 हिस्सा, वादी का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 520,598,600 मे से खुमला पुत्र किशना एवं खसरा नम्बर 166,167,168 मे से सुखा पुत्र किशना का नाम हटाया जाता है । उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो । डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें ।

निर्णय आज दिनॉक 9/10/17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कुचामन सिटी (नागौर)